भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 05AD 771709

यह [illegible] शिक्षा समिति, चन्दपुर जोगियान पो० ऊजा बरेली

स्मृतिपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है। जिसकी पंजीकृत संख्या B-45006 है।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली क्षेत्र, बरेली ★ उ०प्र० ★

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
08/02/2017

स्मृति–पत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | संस्था का नाम | : | न्यू खुसरो शिक्षा समिति |
| 2. | संस्था का पूरा पता | : | चन्दपुर जोगियान, सी0बी0गंज बरेली |
| 3. | संस्था का कार्यक्षेत्र | : | समस्त उत्तर प्रदेश |
| 4. | संस्था के उद्देश्य | : | संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगें:– |

1. बालक एवं बालिकाओ को शिक्षा से सुसज्जित करना तथा शिक्षा के द्वारा उनमे राष्ट्र प्रेम की भावना जाग्रत करना।
2. बालक एवं बालिकाओ को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनको शिक्षा से सुसज्जित करना तथा उनको रचनात्मक कार्यो के निशुलक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
3. समय समय पर साहित्यिक प्रतियोगिताओ का आयोजन करना और उनमे सफल बालक बालिकाओ को पुरूस्कार देना ताकि उनमे शिक्षा ग्रहण करने की भावना पैदा हो सके।
4. बालक बालिकाओ के ज्ञानवर्धन करने हेतु पुस्तकालयो एवं वाचनालयो की स्थापना करना।
5. शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना विभिन्न स्तरो पर विद्यालयो की स्थापना कर उनका प्रबन्ध करना।
6. सुबाई व मरकजी सरकारो के जरिये मदरसा आधुनिकरण व अकालयतो की फलाह व वहबूदी, व मुस्लिम अल्पसंख्यको को शिक्षित करने के साथ साथ उनकी तालीमी परसमान्दगी को दूर करने वाली चलायी जा रही तालीमी स्कीमात को अपनाना व उन पर अमल कर अकलियतो की तालीमी पसमान्दगी को दूर करने मे सरकार की मदद करना तथा उनको तालीम देकर दे व कौम की सेवा करने का जजबा बेदार करना।
7. सामाजिक कुप्रथाओ जैसे–दहेज प्रथा, अछूत, मद्यपालन के उन्मूलन हेतु प्रसार कर अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा समाज मे सर्वधर्म समानता की भावना का प्रचार करने के साथ साथ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, महामारी आदि के समय पीड़ित समाज की सहायता करना।
8. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार स्थानीय निकायो दानशील व्यक्तियो व्यवसायिक प्रतिष्ठानो सरकारी अर्द्वसरकारी कार्यालयो, विभाग उ0प्र0 केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, डवाकर, सिफसा, डिप्सा, सैफ इंडिया, हैल्पेज इंडिया, आक्सफेम इंडिया, डूडा, सूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक हुडको केयर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, वन मंत्रालय पशुधन विकास मंत्रालय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय शिक्षा विभाग उद्यान शिक्षा मंत्रालय उ0प्र0 केन्द्रीय महिला कल्याण निगम कृषि विभाग उद्यान विभाग उ0प्र0 राष्ट्रीय एवं वित्तीय संस्थाओ तथा महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमो तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओ को अपनाना व उनका प्रचार प्रसार करना। नगर विकास, ग्रामीण विकास, कपार्ट, नवार्ड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमो का प्रचार प्रसार कराना महिलाओ एवं बच्चो के सर्वांगीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रम जैसे केस बालवाड़ी, आंगनबाड़ी पूर्व माध्यमिक शिक्षा केन्द्र बाल विकास केन्द्रो, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो पर प्राथमिक शिक्षा केन्द्रो, विद्यालयो श्रमिक शिक्षा केन्द्रो दारूल उलूम मदरसो, विश्व विद्यालयो की स्थापना एवं निशुल्क प्रशिक्षण करना तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनओ के संचालन की निशुल्क व्यवस्था करना तथा सहयोग करना।
10. संस्था के कार्यो मे अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गो, गरीबो दलितो एवं अल्पसंख्यको के उत्थान हेतु कपार्ट, डवाकरा, महिला कल्याण निगम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओ एवं कार्यक्रमो, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कम्प्यूटर हार्डवयेर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, कम्प्यूटर इन्टरनेट के प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना उनका संचालन करना।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियॉ बरेली क्षेत्र, बरेली उ0प्र0

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

11. नागरिको के स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य कैम्पो की व्यवस्था करना तथा स्वास्थ्य परीक्षण एवं भयानक रोगो जैसे–एड्स, कैंसर, अंधता, कुष्ठ रोग एवं टी0बी0 जैसे रोगो के बचाव हेतु उपायो को प्रचारित करना, परिवार के आर0सी0एच0 कार्यकमो का प्रचार प्रसार एवं निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करना।

12. पर्यावरण, राष्ट्रीय नदी, संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना तथा वृक्षारोपण के लिए जनता को उत्साहित करना। पर्यावरण संतुलन हेतु सहायता एवं जागरूकता पैदा करना।

13. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यकम, विचार गोष्ठी, सेमीनार, प्रदर्शनी कार्यकम, पर्यटन कार्यकम, देशाटन आदि कार्यकमो का आयोजन करना।

14. निशुल्क टीकाकरण, पल्स पोलियो, वी0सी0सी0खसरा, हैपेटाइटिस वी0ए0डी0, टिटनेस, एम0एम0आर0 तथा सभी प्रकार के निशुल्क टीकाकरण, कानूनी परामर्श, दायित्री आदि के कैम्पो द्वारा प्रचार प्रसार करना, थैलीसिमियां, टी0बी0, नशा उन्मूलन सम्बन्धी निवारण कार्यकम प्रचार प्रसार करना तथा पर्यावरण की जानकारी प्रदान करना।

15. विकलांग व्यक्तियो हेतु विद्यालय, वोकेशनल शिक्षा, विभागो मंत्रालयो द्वारा संचालित कार्यकमो एवं समाज के अपंग बालको निराश्रित पिछड़े वर्ग, तथा भूमिहीन मजदूरो की शिक्षा दीक्षा तथा जीविकोपार्जन की निशुल्क व्यवस्था करना।

16. मद्य निषेद्य तथा नशीली दवाओ के दुष्प्रभावो के बारे मे जागरूकता पैदा करना, निवारण एवं व्यसनियो के उपचार और पुर्नवास के लिए संस्कृति विशिष्ट माड्यूल तैयार करना। व्यसन के लिए संवेदनशील अथवा इसके लिए खतरा उठाने वाले व्यक्तियो और समूहो की बीच सामूहित पहल तथा स्वयं सहायता करने के प्रयासो को बढ़ावा देना मद्य निषेद्य तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण के क्षेत्र मे स्वैच्छिक प्रयासो के बीच उपयुक्त सम्बन्ध स्थापित करना। निर्भरता पैदा करने वाली नशीली दवाओ की मांग को कम करने के लिए सामुदायिक भागीदारी तथा जन सहयोग को बढ़ावा देना एवं उन कार्यकलापो का समर्थन करना जो इस क्षेत्र मे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आदेशो के समानुरूप है।

17. समाज के उत्थान मे तथा इस तकनीकी युग मे कम्प्यूटर शिक्षण प्रशिक्षण पर सभी प्रकार के कार्यकम आयोजित करना। नागरिको को इन्टरनेट की उपयोगिता समझाने हेतु इन्टरनेट जागरूकता आंदोलन चलाना।

18. प्रदेश के लोगो के लिए सामान्य जीवन उठाने हेतु कृषि, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, डेरी, भैंस एवं गाय पालन इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना एवं विशेषकर महिलाओ के लिए मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, डेरी इत्याहिद कार्यकमो से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रशिक्षण सह आयोत्पादान कार्यकमो का संचालन प्रचार एवं प्रसार करना।

19. ग्रामीण क्षेत्र मे महंगी दवाईयो के प्रभाव को कम करने हेतु विभिनन प्रकार की जड़ी बूटिया के उत्पादन एवं उपयोग हेतु निशुल्क प्रशिक्षण तथा विलुप्त हो रही जड़ी बूटियो की अच्छी नस्ले तैयार करना और उनको गरीबो मे निशुल्क वितरण करना।

20. अन्य वे सभी कार्य करना जो शिक्षा के विकास एवं उन्नति मे सहायक हो एवं सोसा0 रजि0 एक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत हो।

Rizwan Ali

Rashid

Ayesha

Sajda

सत्य प्रतिलिपि

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया।

| क्रमसं० | नाम/पिता/पति का नाम | पता | पद | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इरफान अली जाफरी पुत्र श्री असगर अली | 13 ग्राम चन्दपुर जोगियान सी०बी०गंज बरेली | अध्यक्ष | व्यापार |
| 2. | रिजवान अली पुत्र श्री असगर अली | 59 ग्राम चन्दपुर जोगियान सी०बी०गंज बरेली | उपाध्यक्ष | व्यापार |
| 3. | असगर अली जाफरी पुत्र श्री मेंद अली जाफरी | ग्राम चन्दपुर जोगियान सी०बी०गंज बरेली | प्रबन्धक | कृषि |
| 4. | अरशिद अली जाफरी पुत्र श्री असगर अली | 13 ग्राम चन्दपुर जोगियान सी०बी०गंज बरेली | उपप्रबन्धक | व्यापार |
| 5. | श्रीमती खुर्शीद बेगम पत्नी श्री असर अली | 59 ग्राम चन्दपुर जोगियान सी०बी०गंज बरेली | कोषाध्यक्ष | कृषि |
| 6. | कु० आयशा पुत्री श्री असगर अली | 13 ग्राम चन्दपुर जोगियान सी०बी०गंज बरेली | सदस्य | व्यापार |
| 7. | कु० साजदा पुत्री श्री असगर अली | 13 ग्राम चन्दपुर जोगियान सी०बी०गंज बरेली | सदस्य | व्यापार |

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजि० एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दि० 10-11-2014.     उक्त 1 से 7 तक के पते प्रमाणित

Rizwan Ali     असगर अली जाफरी     Arshid

सत्य प्रतिलिपि

Aysha     Sazda

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

# नियमावली

1. संस्था का पूरा नाम : न्यू खुसरो शिक्षा समिति
2. संस्था का पता : चन्दपुर जोगियान, सी0बी0 गंज बरेली।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र स्थल : समस्त उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :

संस्था की सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत किया जायेगा जिसके निर्णय के उपरान्त ही कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य बन सकेगा। आवेदक का वालिग होना आवश्यक होगा तथा भारत वर्ष का निवासी होना भी आवश्यक होगा और संस्था के उद्देश्यों को समझने के लिये बौद्धिक रूप से सक्षम होना चाहिए, सदस्यता का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा।

<u>आजीवन सदस्य</u> — समिति को एक मुश्त रूपये 1000/— नकद या इसके समक्ष चल/अचल सम्पत्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति समिति के आजीवन सदस्य कहलायेगें।

<u>विशिष्ट सदस्य</u> — समिति को एक मुश्त रूपये 501/— देने वाले व्यक्ति पांच वर्ष के लिए विशिष्ट सदस्य बन सकेगें।

<u>साधारण सदस्य</u> — संस्था को मात्र 50/— रूपये प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क प्रदान कर कोई भी व्यक्ति साधारण सदस्य बन सकेगें।

5. **सदस्यता की समाप्ति** : निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त हो जायेगी :—
   - (i) किसी कारण से सदस्य की मृत्यु हो जाने पर
   - (ii) किसी सरकारी डाक्टर द्वारा किसी सदस्य के पागल घोषित करने पर।
   - (iii) किसी सदस्य को विधिक तौर पर दीवालिया घोषित हो जाने पर।
   - (iv) किसी सदस्य को किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक अपराध में लिप्त होने व दण्डित किये जाने पर ।
   - (v) संस्था के नियमों का उल्लंघन करने पर।
   - (vi) लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर।
   - (vii) संस्था को किसी प्रकार नुकसान पहुंचाने पर।
   - (viii) निर्धारित सदस्यता शुल्क न देने पर।
6. <u>**संस्था के अंग**</u> :— निम्नांकित दो प्रकार के अंग होगें—
   1. साधारण सभा
   2. प्रबन्धकारिणी समिति

Rizwan Ali
Arshid
Ayesha

Sagda

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
08/02/2017

7. **साधारण सभा का गठन, बैठक कोरम सूचना अवधि आदि–**

(i) गठन – संस्था की साधारण सभा इस नियमावली के पैरा–4 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्यों को मिलाकर होगी परन्तु मत देने का अधिकार उन्हीं सदस्यों को होगा जिनका सदस्यता शुल्क जमा हो चुका होगा।

(ii) बैठकें – एक साल में कम से कम साधारण सभा की सामान्य बैठक एक बार होगी तथा आवश्यक बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार होगा।

(iii) साधारण सभा की बैठकों की सूचना अवधि :–

समस्त सदस्यों को साधारण सभा की बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व एजेण्डा द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क से दी जायेगी।

(iv) साधारण सभा की बैठकों की गणपूर्ति :–

साधारण सभा की बैठकों में कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य उपस्थित हो जाने पर गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

(v) विशेष वार्षिक अधिवेशन व उसकी तिथि :–

जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि यह अधिवेशन हर साल के अन्तिम सप्ताह में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर होगा इसमें संस्था के सालाना बजट पर विचार किया जायेगा।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ बरेली क्षेत्र, बरेली

Rizwan Ali

Aashid

Ayesha

Saqib

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल बरेली (उ०प्र०)
08/09/2017

(vi) साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार :–

क. संस्था के नियमों में संशोधन करना ।

ख. समिति की प्रबन्धकारिणी समिति को गठन करना व कार्यकाल से पूर्व रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति करना।

ग. संस्था के वार्षिक बजट पर विचार करना।

घ. संस्था की नीति निर्धारित करना।

8. **<u>प्रबन्धकारिणी समिति का गठन, चुनाव प्रक्रिया, बैठक कोरम सूचना अवधि आदि–</u>**

(i) गठन – संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा इसके द्वारा संस्था का संचालन होगा। प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष तथा शेष सदस्य होगें जिनमें न्यूनतम 7 तथा अधिकतम 21 सदस्य होगें।

(ii) चुनाव प्रक्रिया – चुनाव प्रक्रिया में वे सभी सदस्य भाग ले सकेगें जिन्होंने नियमानुसार सदस्यता शुल्क अदा करके उचित रसीद प्राप्त कर ली हो तथा जिन्हें साधारण सभा के गठन के अनुसार मत देने का अधिकार हो। साधारण सभा द्वारा चुनाव के लिये आहूत की गयी नियमानुसार बैठक में समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यो का चुनाव कम से एक प्रस्ताव और एक अनुमोदक के द्वारा होना अनिवार्य होगा।

(iii) बैठकें – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक का आयोजन समयानुसार किसी भी समय हो सकेगा।

(iv) सूचना – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 4 दिन पहले व विशेष बैठक की सूचना कम से कम 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

(v) गणपूर्ति – यदि प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति हो जायेगी तब इसकी बैठकों का कोरम पूर्ण होगा।

Rizwan Ali
Arshid
Ayesha

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

(v) रिक्त स्थानों की पूर्ति :—यदि कार्यकाल से पूर्व किसी सदस्य या पदाधिकारी का कोई स्थान रिक्त होगा। तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

(vi) प्रबन्धिकारिणी समिति के कर्तव्य व अधिकार :—

क. संस्था का उचित रूप से प्रबन्धन करना।

ख. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति व अवनीति करना।

ग. संस्था के लिए आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध कराना।

घ. प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :—**

**क. अध्यक्ष** :—
1. संस्था की साधारण सभाओं की अध्यक्षता करना।
2. सभाओं में शान्ति व्यस्था बनाये रखना।
3. बैठकों की तिथि निर्धारित करना।
4. संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना तथा आवश्यक सुझाव देना।

**ख. उपाध्यक्ष** :— संस्था का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर अध्यक्ष के सभी अधिकार एवं कर्तव्य धारित करेगा।

**ग. प्रबन्धक** :—
1. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना तथा उसका रिकार्ड विधिवत रखना।
2. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवनीति, पदच्युत, त्यागपत्र स्वीकृति व दण्डित करना।
3. संस्था को प्राप्त होने वाला समस्त दान, अनुदान, चन्दा एवं अन्य सहायता प्राप्त करना।
4. संस्था की ओर से किये जाने वाले प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना व उनको प्रमाणित करना।
5. कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत करना।

Rizwan Ali
Arshid
Ayesha

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
08/02/2017

6. संस्था की उन्नति के लिए प्रयत्न करना व अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/निधि विभागों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना।
7. अभिलेखों की तैयार करना व उनकी सुरक्षा करना।
8. आय व्यय का हिसाब रखना तथा सालाना बजट बैठक में प्रस्तुत करना।
9. यह संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

घ. **उपप्रबन्धक** :– प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वाह करना।

ड़. **कोषाध्यक्ष** :– क. संस्था के चन्दा वसूली में सहायता करना।
ख. आय–व्यय लेखा परीक्षण में सहायता करना।
ग. संस्था के खर्च के लिए वाउचर आदि तैयार करना।

10. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

संस्था की नियमावली तथा उद्देश्यों में परिवर्तन साधारण सभा की विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर होगा अथवा प्रबन्धकारिणी संस्था की विशेष बैठक में इसी बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही किया जा सकेगा।

11. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था) :–

संस्था की धनराशि को स्थानीय बैंक एवं पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खोले गये खाते में जमा किया जायेगा एवं इस खाते का संचालन संस्था के प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण :–

समस्त आय–व्यय सम्बन्धी जांच हर साल करायी जायेगी यह कार्य प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आडीटर करेगा जो अपनी आख्या प्रबन्धक के माध्यम से प्रबन्ध समिति को प्रस्तुत करेगा।

सत्य प्रतिलिपि

Rizwan Ali
Arshid
Ayesha

**13. संस्था के सम्बन्धी अदालती कार्यवाही** :–

न्यायालय सम्बन्धी सभी कार्यवाही चाहे वह संस्था के द्वारा की जाये अथवा संस्था के विरोध में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा की जायेगी स्थानीय न्यायालय में होगी एवं इसकी कार्यवाही की पैरवी संस्था के प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

**14. संस्था के अभिलेख** :– संस्था के निम्नांकित अभिलेख होगें जिनकी तैयारी हिन्दी में की जायेगी। आवश्यकता अनुसार अभिलेखों में सुधार किया जायेगा।

क. सदस्यता रजिस्टर
ख. कार्यवाही रजिस्टर
ग. स्टाक रजिस्टर
घ. कैश बुक आदि।
ड़ एजेण्डा रजिस्टर

**15. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही** :–

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0 रजि0 एक्ट की धारा– 13 व 14 के अनुरूप होगी।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली क्षेत्र, बरेली

दिनांक: 10/11/2014

सत्यप्रतिलिपि

(प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर)

Rizwan Ali
Arshid
Ayesha

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मण्डल, बरेली (उ0प्र0)